

28/12/16

वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में
स्वार्थित हो चुका है। अतः अर्धी का प्रार्थना पत्र
आगे चलने का कोई औचित्य नहीं है अतः
अर्धी का अर्थना पत्र स्वार्थित किया जाता है।

30/12